रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02072020-220334
CG-DL-E-02072020-220334

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 323] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 1, 2020/आषाढ़ 10, 1942
No. 323] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 1, 2020/ASHADHA 10, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 2020

सा.का.नि. 425(अ).—निम्नलिखित प्रारूप नियमों, जिन्हें केंद्र सरकार मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 88 की उप-धारा (9) के साथ पठित उप-धारा (14) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करती है, को इस अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) के द्वारा यथावश्यक इसके द्वारा प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है; और एतदद्वारा नोटिस दिया जाता है कि प्रारूप नियमों को उस तारीख से तीस दिन की अवधि समाप्त होने के बाद विचारार्थ स्वीकार कर लिया जाएगा जिसकों सरकारी राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता के लिए उपलब्ध करायी जाती हैं।

इन प्रारूप नियमों पर आपत्तियां या सुझाव, यदि कोई हों, संयुक्त सचिव (एमवीएल), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 को भेजे जा सकेंगे अथवा jspb-morth@gov.in; पर ई-मेल किए जा सकेंगे।

कोई आपत्तियां या सुझाव, जो किसी व्यक्ति से उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के भीतर प्राप्त किए जाते हैं, पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

अब, इसलिए, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 88 की उप-धारा (9) के साथ पठित उप-धारा (14) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतदद्वारा इस प्रकार के अतिक्रमण से पहले की गई यथा संबंद्ध वस्तुओं या लोपित किए जाने वाली वस्तुओं को छोड़कर मोटर यान (पर्यटक परिवहन संचालकों के लिए अखिल भारतीय परमिट) नियम, 1993 का अतिक्रमण करके निम्नलिखित नियम बनाती है, नामत:-

प्रारूप नियम

1. **संक्षिप्त शीर्षक, प्रारंभ और रियायत-** (1) इन नियमों को अखिल भारतीय पर्यटक यान प्राधिकृति और परमिट नियम, 2020 कहा जा सकता है।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि को प्रवृत्त होंगे।

(3) इन नियमों के तहत दिए गए परमिट पर केंद्रीय मोटर यान नियमावली 1989 के नियम 82 से 85ए तक में निर्धारित शर्तें लागू नहीं होंगी।

2. **परिभाषाएं -** (1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित हो, -

(क) "अधिनियम" का अभिप्राय है: मोटर यान अधिनियम, **1988 (1988** का **59);**

(ख) "प्राधिकृति" का अभिप्राय है किसीपरिवहन प्राधिकरण द्वारा किसी पर्यटन परिवहन चालक को संबंधित राज्य या संघ राज्य क्षेत्र, जिसमें वाहन चलाया जाना है, द्वारा लगाए कर या शुल्क, यदि कोई हो, का भुगतान कर भारत के पूरे क्षेत्र में पर्यटक वाहन चलाने के लिए प्रदान की गई प्राधिकृति;

(ग) "प्रपत्र" का अभिप्राय है इन नियमों में विनिर्दिष्ट प्रपत्र;

(घ) "परमिट" का अभिप्राय है किसी परिवहन प्राधिकरण द्वारा किसी पर्यटन परिवहन चालक को संबंधित राज्य या संघ राज्य क्षेत्र, जिसमें वाहन चलाया जाना है, द्वारा लगाए कर या शुल्क, यदि कोई हो, का भुगतान किए बगैर भारत के पूरे क्षेत्र में पर्यटक वाहन चलाने के लिए प्रदान किया गया परमिट;

(ड.) "परिवहन प्राधिकरण" का अभिप्राय इस अधिनियम की धारा **68** की उप-धारा (**1**) के तहत गठित राज्य परिवहन प्राधिकरण है।

(2) यहां जिन शब्दों और अभिव्यक्ति का प्रयोग किया गया है, लेकिन यहां परिभाषित नहीं किया गया है और अधिनियम में परिभाषित किया गया है, उनके अभिप्राय उस अधिनियम में उन्हें प्रदत्तानुसार होंगे।

3. **प्राधिकृति या परमिट के लिए आवेदन-** (1) प्राधिकृति को नियम **5** में यथा उल्लिखित प्रत्येक श्रेणी के लिए केवल एक पर्यटक वाहन संचालक को प्रदान किया जाएगा और वैध प्राधिकरण वाले पर्यटक वाहन संचालक के प्रत्येक पर्यटक वाहन को परमिट दिया जाएगा।

(2) प्राधिकृति प्रदान करने या प्राधिकृति के नवीनीकरण के लिए परिवहन प्राधिकरण को प्रपत्र 1 में आवेदन किया जाएगा और जो निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ होगा, अर्थात्-

(क) वाहन (नों) का पंजीकरण प्रमाण पत्र;

(ख) पंजीकृत पते का प्रमाण;

(ग) पैन कार्ड/टीआईएन नंबर, जो भी लागू हो,की प्रति;

(घ) जीएसटी प्रमाणपत्र;

(3) किसी पर्यटक वाहन के लिए परमिट प्रदान करने या परमिट के नवीनीकरण के लिए परिवहन प्राधिकरण को प्रपत्र 1 ए में आवेदन किया जाएगा और जो निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ होंगे, अर्थात्-

(क) वैध प्राधिकृति/प्राधिकृति आवेदन संख्या;

(ख) वाहन का पंजीकरण प्रमाणपत्र;

(ग) वैध फिटनेस प्रमाणपत्र;

(घ) वैध बीमा प्रमाणपत्र;

(ड.) वैध प्रदूषण जांच (पीयूसी) प्रमाण पत्र।

(4) उप-नियम (1) के तहत किए गए आवेदन के साथ इन नियमों के नियम 5 में विनिर्दिष्ट शुल्क दिया जाएगा।

बशर्ते कि जहां परिवहन प्राधिकरण वास्तविक परिवहन प्राधिकरण से इतर हो, जिसमें संचालक ने पता दर्ज किया हो या वाहन पंजीकृत हो, उस प्राधिकृति के मामले में 100 रुपये का अतिरिक्त प्रभार और प्राधिकृति या परमिट, जैसा भी मामला हो, जारी करने के परमिट के लिए 1000 रुपये का शुल्क लिया जाएगा।

(5) आवेदन निर्दिष्ट शुल्क के साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप से सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय या परिवहन प्राधिकरण की वेबसाइट पर किया जाएगा।

(6) परिवहन प्राधिकरण आवेदन की प्राप्ति से तीस दिनों की अवधि के भीतर प्राधिकृति या परमिट, जैसा भी मामला हो, जारी करेगा।

4. **प्राधिकृति या परमिट प्रदान करने की प्रक्रिया** –(1) नियम **3** के उप-नियम (**1**) के तहत आवेदन प्राप्त होने परसंबंधित परिवहन प्राधिकरण परमिट के मामले में दस्तावेजों के जांचकी एक तारीख निर्धारित कर सकता है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वाहन इन नियमों के अनुरूप है और सड़क के अनुकूल है।

(2) यदि नियम 3 के उप-नियम (1) के तहत किया गया आवेदन अधूरा है और नियम 5 में निर्दिष्ट शुल्क के साथ नहीं किया गया है, तो परिवहन प्राधिकरण लिखित में दर्ज किए जाने वाले कारण देकर आवेदन को अस्वीकृत कर सकता है:

बशर्ते कि, आवेदन को अस्वीकृत करने से पहले आवेदक को आवेदन में दोषों को ठीक करने का एक अवसर दिया जाएगा।

(3) यदि आवेदन प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर परिवहन प्राधिकरण द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया जाता है, तो प्राधिकृति या परमिट, जैसा भी मामला हो, को प्रदान किया गया और इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली के माध्यम से तैयार किया गया समझा जा सकता है।

(4) प्राधिकृति और परमिट प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3, जैसा भी मामला हो, में स्वीकृत किया जाएगा और तीन महीने की अवधि तक वैध होगा या एक समय में इसका गुणक तीन वर्ष से अधिक नहीं होगा।

(5) वाहन के पहले पंजीकरण की तारीख से बारह वर्ष पूरे होने के बाद वाहन को परमिट नहीं दिया जाएगा।

बशर्ते कि, दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पंजीकृत डीजल वाहनों के मामले में, पहले पंजीकरण की तारीख से दस (10) वर्ष पूरा होने के बाद परमिट नहीं दिया जाएगा।

5. **प्राधिकृति या परमिट जारी करने का शुल्क** – (1) प्राधिकृति या परमिट, जैसा भी मामला हो, प्रदान करने के लिए आवेदननीचे दी गई तालिका में निर्दिष्ट शुल्क के साथ किया जाएगा।

तालिका

(वार्षिक)

चालक को छोड़कर पर्यटक वाहन की क्षमता	प्राधिकरण (शुल्क रुपये में)	एसी परमिट (शुल्क रुपये में)	नॉन-एसी परमिट (शुल्क रुपये में)
(1)	(2)	(3)	(4)
9 से कम है	1000	25,000	15,000
दस या अधिक लेकिन 23 से कम	1500	75,000	50,000
23 या अधिक	2500	3,00,000	2,00,000

(2) त्रैमासिक परमिट की दरें उप-नियम (1) में निर्दिष्ट शुल्क का 30 प्रतिशत होगी।

6. **राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के बीच समेकित प्राधिकृति या परमिट शुल्क का वितरण- (1)** प्राधिकृति या परमिट, जैसा भी मामला हो, के लिए भुगतान किया गया शुल्क, मासिक आधार पर क्षेत्राधिकार राज्य को संप्रेषित किया जाएगा।

(2) नियम **5** के तहत एकत्रित परमिट शुल्क को नीचे दिए गए सूत्र के अनुसार राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में वितरित किया जाएगा:

एसआर = $एसएस_{एक्स}$ (देश के लिए मासिक वास्तविक राजस्व)

$एसआर_{एन}$ = राज्य के लिए मासिक वास्तविक राज्य राजस्व

$एसएस_{एन}$ = राज्य का राज्य हिस्सा

= <u>पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए प्रत्येक राज्य हेतु कुल राजस्व</u>
पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए सभी राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों हेतु कुल राजस्व

स्पष्टीकरण - इस उप-नियम के प्रयोजनार्थ, कुल राजस्व का अभिप्राय राज्य या संघ राज्य क्षेत्र द्वारा अंतर-राज्यीय परमिट शुल्क की वसूली से उद्भूहित राजस्व है।

7. **प्राधिकृति या परमिट का कार्यक्षेत्र और वैधता -** प्राधिकृति या परमिट, जैसा भी मामला हो, पूरे भारत में मान्य होगा।

(2) प्राधिकृति या परमिट, जैसा भी मामला हो, इसका उपयोग अपने निजी सामान के साथ व्यक्तिगत या समूह में यात्रियों के परिवहन के लिए किया जाएगा।

(3) कोई व्यक्ति या व्यक्तियों के समूहकोतब तक व्यक्तिगत रूप से या समूह में यात्रियों के परिवहन के लिए वाहन का उपयोग नहीं करना चाहिए, जब तक कि उनके पास इलेक्ट्रॉनिक या अन्यथा वास्तविक रूप में वैध प्राधिकृति या परमिट, जैसा भी मामला हो, न हो।

8. **प्राधिकृति या परमिट का हस्तानांतरण- (1)** उप-नियम **(2)** में अन्य स्वरूप में निहित, अधिकारिता परिवहन प्राधिकरण की अनुमति को छोड़कर प्राधिकृति या परमिट, जैसा भी मामला हो, किसी व्यक्ति से अन्य व्यक्ति को

हस्तांतरणीय नहीं होगा।

(2) जहां प्राधिकृति/परमिट, जैसा भी मामला हो, प्रदत्त संस्वीकृत वाहन के स्वामित्व में स्वामी की मृत्यु के कारण परिवर्तन होता है, नया स्वामी/उत्तराधिकारी, जैसा भी मामला हो, मृत्यु के एक माह के अंदर अधिकारिता परिवहन प्राधिकरण को स्वामित्व परिवर्तन को संसूचित करने के अध्याधीन प्राधिकृति/परमिट का उपयोग कर सकता है।

बशर्ते कि, परिवहन प्राधिकरण यदि संतुष्ट हो कि आवेदक को निर्दिष्ट समयावधि के भीतर आवेदन करने से रोका गया था, तो वह एक माह की अवधि समाप्तहोने के बाद भी आवेदन स्वीकार कर सकता है।

9. **वाहन का प्रतिस्थापन -** प्राधिकृति या परमिट, जैसा भी मामला हो, धारक अधिकारिता परिवहन प्राधिकरण की अनुमति से प्रदान किए गए प्राधिकृति या परमिट, जैसा भी मामला हो, वाले किसी भी वाहन को उसी प्रकृति के किसी अन्य वाहन में प्रतिस्थापित कर सकता है।

स्पष्टीकरण - इस नियम के प्रयोजनार्थ अभिव्यक्ति "उसी प्रकृति का वाहन" का अभिप्राय बैठने की उसी क्षमता से है,जिसके लिए प्राधिकृति या परमिट प्रदान किया गया है और शुल्क का भुगतान किया गया है और ऐसा प्रतिस्थापन वाहन किसी अन्य मेक या मॉडल का हो सकता है।

10. विशेषता सूचक चिह्न-इन नियमों के तहत जिन वाहनों को परमिट प्रदान किया गया है, उस वाहन के पीछे बाईं ओर प्रमुखता नीले रंग पर सफेद अक्षरों में परमिट की वैधता के साथ 'अखिल भारतीय पर्यटक परमिट' लिखा होना चाहिए।

11. पर्यटकों की सूची-परमिट के तहत चलने वाले वाहन मेंहर समय इलेक्ट्रॉनिक या वास्तविक रूप में यात्रियों की सूची होनी चाहिए, जिसमें प्रत्येक यात्री के प्रस्थान और गंतव्य का विवरण होगा।

(2) अधिकृत अधिकारियों द्वारा अधिनियम के तहत या इसके तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत दस्तावेज दिखाने की मांग पर इस सूची को प्रस्तुत किया जाएगा।

12. बीमा कवरेज- प्राधिकृति□ और परमिट के तहत चलने वाला प्रत्येक वाहन यात्री के साथ-साथ चालक देयता के लिए वैध बीमा से बीमित होगा।

13. **प्रत्येक परमिट धारक द्वारा अपने पास रखी जाने वाली सूचना –** प्राधिकृति□ और परमिट धारक प्रत्येक पर्यटक वाहन संचालक कोयात्रा विवरण सहित यात्रियों के रिकॉर्ड को न्यूनतम एक वर्ष की अवधि के लिए अपने पास रखना होगा और अधिकारिता परिवहन प्राधिकरण या किसी अन्य कानून प्रवर्तन अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर ये रिकॉर्ड उपलब्ध कराया जाएगा।

(2) यात्री की काई भी जानकारी किसी अन्य व्यक्ति या संस्था अथवा कंपनी के साथ साझा नहीं की जाएगी।

14. **परमिट रद्द और निलंबित करना - (1)** प्राधिकृतिया परमिट, जैसा भी मामला हो, स्वीकृत करने वाला परिवहन प्राधिकरण प्राधिकृति□ या परमिट धारक, जैसा भी मामला हो, का प्राधिकृति□ या परमिट रद्द कर सकता है -

(1) इन नियमों या अधिनियमों, जैसा भी मामला हो, के प्रावधानों के उल्लंघन में प्रयोग किए जाने वाले किसी वाहन का उपयोग या कारण अथवा अनुमति होने पर;

(2) प्राधिकृति□ या परमिट, जैसा भी मामला हो, द्वारा कवर किए गए वाहन के मालिक के स्थगन पर;

(3) धोखाधड़ी या गलत बयानी से प्राप्त किया गया प्राधिकृति□ या परमिट;

(4) किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करने पर।

15. **अपील -** किसी भी व्यक्ति का अधिकारिता परिवहन प्राधिकरण के निम्नलिखित आदेश से असंतुष्ट होंगे **-**

(1) नियम 4 के उप-नियम (3) के तहत प्राधिकृति□ या परमिट, जैसा भी मामला हो, जारी करने से इनकार करना; या

(2) प्राधिकृति□ या परमिट, जैसा भी मामला हो, का निलंबन या रद्द करनाया उसकी स्थिति□में किसी प्रकार की तब्दीली; या

(3) इन नियमों के नियम 8 या नियम 9 के तहत प्राधिकृति□ या परमिट, जैसा भी मामला हो, को हस्तानांतरित करने से इनकार करने का आदेश; या

(4) प्राधिकृतियां परमिट, जैसा भी मामला हो, का नवीनीकरण करने से इनकार करने का आदेश,

पर आवेदक द्वारा उक्त आदेश प्राप्त होने की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर राज्य परिवहन प्राधिकरण से अपील की जा सकती है, जो ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के बाद निर्णय देगा।

16. **मोटर यान (पर्यटक परिवहन संचालकों के लिएअखिल भारतीय परमिट) नियम**, 1993 **के तहत जारी किए गए परमिट का जारी रहना-** मोटर यान (पर्यटक परिवहन संचालकों के लिए अखिल भारतीय परमिट) नियम**,** **1993** के तहत जारी किया गया परमिट उसकी वैधता की अवधि तक ऐसे जारी रहेगा**,** जैसे यह अखिल भारतीय पर्यटक वाहन प्राधिकृति□ और परमिट नियम**,** **2020** के तहत जारी किया गया हो।

प्रपत्र 1

[नियम 3(3) देखें]

पर्यटक वाहन ऑपरेटर के लिए अखिल भारत प्राधिकृति के अनुमोदन / नवीकरण के लिए आवेदन प्रपत्र

सेवा में

परिवहन अधिकार

....

आवेदक (कों) का नाम	
पंजीकृत पता	
आधिकारिक पता	
पैन / टिन नंबर	
जीएसटी नंबर	
प्राधिकृति नंबर (केवल नवीकरण के लिए आवेदन करने के मामले में)	
वाहन (नों) का विवरण:	

क्र. सं.	वाहन विनिर्माता और मॉडल	पंजीकरण सं.	प्रथम पंजीकरण की तिथि	जिस तारीख तक सड़क कर अदा किया गया	सवारी क्षमता	स्वामित्व प्रकार (स्वामित्व / लीज़)	वह श्रेणी जिसमें वाहन आता है

2. मैंने प्राधिकृति शुल्क के लिए निम्नलिखित भुगतान किए हैं-

क्र. सं.	वह श्रेणी जिसमें वाहन आता है	महीनों की संख्या जिसकी प्राधिकृति के लिए आवेदन किया गया	प्राधिकृति शुल्क	भुगतान का विवरण

मैं प्रमाणित करता हूं कि उपरोक्त जानकारी सत्य और सही है।

आवेदक (ओं) या आधिकारिक रबर स्टैंप के साथ प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान।

तारीख _______

प्रपत्र 1 ए

[नियम 3(2) देखें]

पर्यटक वाहन के लिए अखिल भारत परमिट के अनुमोदन / नवीकरण के लिए आवेदन प्रपत्र

सेवा में

परिवहन अधिकारी

....

आवेदक (कों) का नाम	
अखिल भारतीय प्राधिकृति संख्या/प्राधिकृति आवेदन संख्या	

वाहन (नों) के विवरण जिनके लिए परमिट मांगा गया है:

क्र. सं.	वाहन विनिर्माता और मॉडल	पंजीकरण सं.	प्रथम पंजीकरण की तिथि	जिस तारीख तक सड़क कर अदा किया गया	सवारी क्षमता	बीमा की तिथि और वैधता	स्वामित्व प्रकार	वाहन की अंतिम परमिट संख्या	उन महीनों की संख्या जिनके लिए परमिट के लिए आवेदन किया गया है

2. मैंने परमिट शुल्क के लिएनिम्नलिखित भुगतान किए हैं-

क्र. सं.	वह श्रेणी जिसमें वाहन आता है	महीनों की संख्या जिसकी प्राधिकृति के लिए आवेदन किया गया	प्राधिकृति शुल्क	भुगतान का विवरण

मैं प्रमाणित करता हूं कि उपरोक्त जानकारी सत्य और सही है।

आवेदक (ओं) या आधिकारिक रबर स्टैंप के साथ प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान।

तारीख _______

प्रपत्र 2

[नियम 4 (4) देखें]

अखिल भारत पर्यटक वाहन प्राधिकृति प्रमाण पत्र

यह अखिल भारत पर्यटक वाहन प्राधिकृति प्रमाणपत्र पूरे भारत में वैध है

1. व्यक्ति या कंपनी का पूरा नाम (उपनाम, यदि कोई हो, से शुरू)

2. पूरा पता

3. प्राधिकार सं.

4. प्राधिकृति प्रमाणपत्र की वैधता की अवधि:

(1) श्रेणी 1……………से…………तक

(2) श्रेणी 2- ……………से…………तक

(3) श्रेणी 3- ……………से…………तक

परिवहन अधिकारी का हस्ताक्षर

(उपयुक्त प्राधिकारी की मुहर)

प्रपत्र 3

[नियम 4 (4) देखें]

(<u>वाहन संख्या</u>) के लिए अखिल भारत पर्यटक परमिट

यह अखिल भारत पर्यटक परमिट पूरे भारत में वैध है

(प्रत्येक वाहन के लिए अलग-अलग प्रमाण पत्र जारी किये जाएंगे)

1. व्यक्ति या कंपनी का पूरा नाम (उपनाम, यदि कोई हो, से शुरू)

2. पूरा पता

3. परमिट सं.

4. पर्यटक वाहन ऑपरेटर की प्राधिकृति संख्या: -

क्र. सं.	वाहन विनिर्माता	पंजीकरण सं.	फिटनेस प्रमाणपत्र की तिथि और वैधता	बीमा की तिथि और वैधता	जिस तारीख तक सड़क कर अदा किया गया है।	प्रथम पंजीकरण की तिथि	सवारी क्षमता

अखिल भारत पर्यटक परमिट की वैधता की अवधिः- …………से…………तक

परिवहन अधिकारी का हस्ताक्षर
(उपयुक्त प्राधिकारी की मुहर)

[सं. आरटी-16017/2/2018-टी]
प्रियांक भारती, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st July, 2020

G.S.R. 425(E).—The following draft of certain rules which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (14) read with sub-section (9) of Section 88 of Motor Vehicles Act, 1988 (59 0f 1988) are hereby published as required by sub-section (1) of section 212 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after expiry of thirty days from the date on which the copies of this notification as published in the Gazette of India are made available to the Public.

Objections and suggestions, if any, may be sent to the Joint Secretary (MVL), Ministry Of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, new Delhi- 110001 or email to jspb-morth@gov.in.

Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period aforesaid shall be considered by the Central Government.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (14) read with sub-section (9) of section 88 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules by superseding the Motor Vehicles (All India Permit for Tourist Transport Operators) Rules, 1993 except as respects things done or omitted to be done before such supersession namely:-

Draft Rules

1. **Short title, commencement and exemption.–**(1) These rules may be called the All India Tourist Vehicles Authorisation and Permit Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

(3) The conditions prescribed in rules 82 to 85A of the Central Motor Vehicles Rules, 1989 shall not apply to the permits granted under these rules.

2. Definitions. -(1)In these rules, unless the context otherwise requires, -

(a) "Act" means the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988);

(b) "authorisation means an authority granted by the Transport Authority to enable tourist vehicles operator to ply tourist vehicle throughout the territory of India subject to payment of taxes or fees, if any, levied by the State or Union territory through which it ply;

(c) "Form" means a Form appended to these rules;

(d) "permit" means a permit issued by the Transport Authority to enable a tourist vehicle operator to ply tourist vehicle throughout the territory of India without payment of taxes or fee levied by any State of Union territory through which it ply;

(e) "Transport Authority" means the State Transport Authority constituted under sub-section (1) of section 68 of the Act.

(2) The words and expressions used herein but not defined herein and defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in that Act.

3. Application for authorization or permit.– (1) The authorization shall be granted only to a tourist vehicle operator for each category as mentioned in rule 5 and the permit shall be granted to each tourist vehicle of a tourist vehicle operator having valid authorization.

(2) An application for grant of authorisation or renewal of authorisation, shall be made to the Transport Authority in Form 1 and shall be accompanied by the following documents, namely-

(a) Registration Certificate of the Vehicle (s);

(b) proof of registered address;

(c) copy of PAN card/TIN Number whichever is applicable;

(d) GST certificate;

(3) An application for grant of permit or renewal of permit for a tourist vehicle, shall be made to the Transport Authority in Form 1A and shall be accompanied by the following documents, namely-

(a) Valid authorisation/ Authorisation application number;

(b) Regsitration Certificate of the Vehicle;

(c) Valid fitness certificate;

(d) Valid insurance certificate;

(e) Valid Pollution Under Check (PUC) certificate.

(4) The application made under sub-rule (1) shall be accompanied by fee as specified in rule 5 of these rules.

Provided that in case where the Transport Authority is other than the actual Transport Authority in which the operator has registered address or the vehicle is registered, an additional charge of Rs. 100 in case of authorisation and Rs. 1000 in case of permit shall be charged for issuance of authorisation or permit, as the case may be.

(5) The application along with the specified fee shall be made in electronic form on the website of the Ministry of Road Transport and Highways or Transport Authority.

(6) The Transport Authority shall issue the authorisation or permit, as the case may be, within a period of thirty days from the receipt of application.

4. Procedure for grant of authorisation or permit. – (1) On receipt of an application under sub-rule (1) of rule 3, the concerned Transport Authority may fix a date for inspection of the documents in case of permit to ensure that the vehicle is compliant with these rules and road worthy.

(2) If the application made under sub-rule (1) of rule 3 is incomplete and not accompanied by fee specified in rule 5, the Transport Authority may reject the application for reasons to be recorded in writing:

Provided that before rejecting an application, an opportunity shall be given to the applicant to cure the defects in the application.

(3) If no decision is taken by the Transport Authority within 30 days of receipt of the application, the authorisation or permit as the case may be shall be deemed to have been granted and generated through

electronic system.

(4) The authorisation and permit shall be granted in Form 2 and Form 3, as the case may be, and shall be valid for a period of three months or its multiples thereof not exceeding three years at a time.

(5) The permit shall not be granted to vehicle after the completion of twelve years from the date of first registration of the vehicle.

Provided that, in case of diesel vehicles registered in the National Capital Region of Delhi, permit shall not be granted after completion of ten (10) years from the date of first registration.

5. **Fee for issuance of authorisation or permit. -**(1) An application for the grant of authorisation or permit, as the case may be, shall be accompanied by fee as specified in the table below:

TABLE

(Annually)

Passengers capacity of Tourist Vehicle excluding driver	**Authorisation (Fee in rupees)**	**AC Permit (Fee in rupees)**	**Non-AC Permit (Fee in rupees)**
(1)	(2)	(3)	(4)
Less than 9	1000	25,000	15,000
Ten or more but less than 23	1500	75,000	50,000
23 or more	2500	3,00,000	2,00,000

(2) The rates for quarterly permit shall be 30 percent of the fee specified in sub-rule (1).

6. **Distribution of consolidated authorization or permit fee among States and Union territories. –** (1) The fee paid towards authorization or permit, as the case may be, shall be remitted on a monthly basis to the jurisdictional State.

(2) The permit fee collected under rule 5 shall be distributed among the States and Union territories as per the formula given below:

SR = SS x (Actual revenue for the month for the country)

SR_n = Actual State Revenue for the month for nth State

SS_n = State share of nth State

$$= \frac{\text{Total revenue for each State for preceding three financial years}}{\text{Total revenue of the all the States/ UTs for preceding three financial years}}$$

Explanation.-For the purposes of this sub-rule, the expression Total revenue means the revenue collected by the State or Union territory from levy of Inter-state permit charges.

7. **Scope and Validity of authorization or permit. –**(1)The authorization or permit, as the case may be, shall be valid throughout the India.

(2) The authorization or permit, as the case may be, shall be used for the transport of passengers individually or in a group, along with their personal luggage.

(3) No individual or a group of individuals, shall use the vehicle for the transport of passengers individually or in a group, unless they have a valid authorization or permit, as the case may be, in electronic form or otherwise in their physical possession.

8. **Transfer of authorisation or permit. –** (1) Save as otherwise provided in sub-rule (2), authorisation or permit, as the case may be, shall not be transferable from one person to another except with the permission of the jurisdictional Transport Authority.

(2) Where the ownership of the vehicle granted authorisation or permit, as the case may be, may be transferred due to death of the owner, the prospective owner or successor, as the case may be, shall use the authorisation or permit, as the case may be, after getting necessary changes of ownership by the jurisdictional Transport Authority within a month from death.

Provide that the Transport Authority may entertain an application after the expiry of one month, if it is

satisfied that the applicant was prevented from making an application within the specified time.

9. **Replacement of vehicle. —**The holder of authorisation or permit, as the case may be, may, with the permission of the jurisdictional Transport Authority, replace any vehicle covered by the authorisation or permit, as the case may be, any other vehicle of the same nature.

Explanation. — For the purpose of this rule, the expression "the vehicle of same nature"

means having the same seating capacity for which the authorisation or permit has been granted and fee paid and such a replacement vehicle could be of any other make or model.

10. **Distinguishing mark. –** The vehicles which have been granted permit, under these rules shall prominently display the words 'All India Tourist permit', on rear left side of the vehicle in white letters in blue along with the validity of the permit.

11. **List of tourists. –**A vehicle plying under the permit, shall at all times carry a list of passengers in electronic form or in physical form, which shall contain the details of origin and the destination of each passenger.

(2) The list shall be produced on demand by the officers authorised to demand production of documents by or under the Act or the rules made there under.

12. **Insurance coverage. -**Every vehicle operating under the authorisation and permit, shall have a valid insurance coverage for passenger liability as well as for the driver.

13. **Information to be kept by every permit holder. –**(1)Every tourist vehicle operator holding an authorisation and permit, shall maintain record of the passengers, including journey details, for a minimum period of one year and these record shall be made available to the jurisdictional Transport Authority or any other law enforcement officer on demand.

(2) No record of the passenger shall be shared with any other person or organisation or company.

14. **Cancellation and suspension of permits.-**The Transport Authority which granted authorization or permit, as the case may be, may cancel the authorization or permit, if the holder of the authorization or permit, as the case may be, -

(1) Uses or causes or allows a vehicle to be used in contravention to the provisions of these rules or the Act, as the case may be;
(2) Ceases to own the vehicle covered by authorization or permit, as the case may be;

(3) obtained the authorization or permit by fraud or misrepresentation;

(4) acquires the citizenship of any foreign country.

15. **Appeals.-** Any person aggrieved by the order of the jurisdictional Transport Authority against the, -

(1) refusal to issue authorization or permit, as the case may be, under sub-rule (3) of rule 4; or

(2) suspension or cancellation of authorization or permit, as the case may be, or any variation of the condition thereof; or

(3) order of refusal to transfer the authorization or permit, as the case may be, under rule 8 or rule 9 of these rules; or

(4) order of refusal to renew the authorization or permit, as the case may be,

may within a period of thirty days from the date on which the said order is received by the applicant, appeal to the State Transport Authority, who shall give a decision thereon after giving such person an opportunity of being heard.

16. **Continuity of the permit issued under the Motor Vehicles (All India Permit for Tourist Transport Operators) Rules, 1993.-** The permit issued under Motor Vehicles (All India Permit for Tourist Transport Operators) Rules, 1993 shall continue to be in force during their validity period as if they were issued under the All India Tourist Vehicles Authorization and Permit Rules, 2020.

Form 1

[Refer rule 3(3)]

Application Form for Grant/Renewal of All India Authorisation for Tourist Vehicle Operator

To

The Transport Authority

……………………………..

Name of the applicant (s)							
Registered Address							
Official Address							
PAN/TIN Number							
GST Number							
Previous Authorisation Number (in case applying for renewal only)							
Particulars of the Vehicle(s):							
Sr. No.	Make and Model of the vehicle	Registration No.	Date of First Registration	Road Tax Paid upto	Seating capacity	Ownership Type (Owned/Lease)	Category in which vehicle falls

2. I have made following payments towards Authorisationfee-

Sr. No.	Category in which vehicle falls	No of months for which authorisation applied	Authorisation Fee	Payment Details

I certify that the above information is true and correct.

Signature or thumb impression of applicant(s) or of the authorized signatory with official rubber stamp.

Date _______

Form 1A

[Refer rule 3(2)]

Application Form for Grant/Renewal of All India Permit for Tourist Vehicle

To

The Transport Authority

……………………………..

Name of the applicant (s)	
All India Authorisation Number/Authorisation Application Number	
Particulars of the Vehicle(s) for which permit is required:	

Sr. No.	Make and Model of the vehicle	Registration No.	Date of First Registration	Road Tax Paid upto	Seating capacity	Date and validity of Insurance	Ownership Type	Last Permit number held by the vehicle	No. of months for which permit is applied for

2. I have made following payments towards Permit fee-

Sr. No.	Category in which vehicle falls	No of months for which authorisation applied	Authorisation Fee	Payment Details

I certify that the above information is true and correct.

Signature or thumb impression of applicant(s) or of the authorized signatory with official rubber stamp.

Date _______

Form 2
[Refer rule 4(4)]

All India Tourist Vehicle Authorisation Certificate

This All India Tourist Vehicle Authorisation Certificate is valid for whole of India

1. Name in full of the individual or company (starting with surname, if any)
2. Complete Address
3. **Authorisation No.**
4. Period of validity of the authorization certificate:

(1) Category 1- From………… to …………..
(2) Category 2- From………… to …………..
(3) Category 3- From…………. to ………….

Signature of the Transport Authority
(Seal of the appropriate authority)

Form 3
[Refer rule 4(4)]

All India Tourist Permit for (Vehicle Number)

This All India Tourist Permit is valid for whole of India

(Separate certificates shall be issued for every vehicle)

1. Name in full of the individual or company (starting with surname, if any)
2. Complete Address

3. Permit No.

4. Authorisation number of the Tourist vehicle Operator:-

Sr No	Make of the vehicle	Registration No./	Date and validity of Fitness Certificate	Date and validity of Insurance	Road Tax paid up to..	Date of First Registration	Seating Capacity

5. Period of validity of the All India Tourist Permit. - From………….…to………….….

Signature of the Transport Authority
(Seal of the appropriate authority)

[No. RT-16017/2/2018-T]

PRIYANK BHARTI, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. KUMER CHAND MEENA Digitally signed by KUMER CHAND MEENA Date: 2020.07.02 20:21:16 +05'30'